



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20082026-275628
CG-DL-E-20082026-275628

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4421]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 20, 2026/श्रावण 29, 1948

No. 4421]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 20, 2026/SHRAVAN 29, 1948

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2026

सं. 30/2026-27

विषय: विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा 2.52 और 2.53 में संशोधनके संबंध में।

का.आ. 4601(अ).— समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा तत्काल प्रभाव से विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैरा 2.52 और 2.53में निम्नलिखित संशोधन करती है:

पैरा सं.	मौजूदा पैरा	संशोधित पैरा
2.52: निर्यात संविदाओं का कोटिकरण	(क) सभी निर्यात संविदाओं और बीजकों को मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा अथवा भारतीय रुपये के मूल्य वर्ग में रखा	(क) एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) के सदस्य देशों को छोड़कर अन्य सभी निर्यात अनुबंधों और बीजकों को या तो

	जाएगा किन्तु निर्यात प्राप्तियां मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में वसूल की जाएंगी। (ख)विशिष्ट निर्यातों के लिए निर्यात प्राप्तियां रूप्यों में भी वसूल की जा सकती है, बशर्ते कि: यह एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) के सदस्य देश, नेपाल या भूटान को छोड़कर किसी भी देश में स्थित अप्रवासी बैंक के मुक्त रूप से परिवर्तनीय बोस्ट्रो खाते के माध्यम से हों। बोस्ट्रो खाते के जरिए रूपये का भुगतान क्रेता द्वारा उसके अप्रवासी बैंक खाते में मुक्त विदेशी मुद्रा में भुगतान के माध्यम से हो। खरीददार को अपने अप्रवासी बैंक को (बैंक सेवा प्रभार को घटाने के बाद) मुक्त विदेशी मुद्रा में किए गए भुगतान को विदेश व्यापार नीति के निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत निर्यात वसूली के रूप में गिना जाएगा। (ग) संविदाओं जिनके लिए भुगतान एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) के जरिए प्राप्त किए जाएंगे, को आरबीआई अधिसूचनाओं के अनुसार एसीयू डॉलर या एसीयू यूरो में निपटान किया जाएगा। केन्द्र सरकार उपयुक्त मामलों में इन प्रावधानों में छूट दे सकती है। एक्जिम बैंक/भारत सरकार लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत निर्यात ठेकों और बीजकों को भारतीय रूप्यों में तय किए जा सकते हैं। (घ) निर्यात और आयात का बीजक, भुगतान और निपटान भी आरबीआई ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 10 दिनांक 11 जुलाई, 2022 के तहत अनुपालन के अधीन भारतीय रूपये में स्वीकार्य है। भारतीय रूपये में व्यापार लेन-देन को इन दिशानिर्देशों का पालन करना होगा: (i.) भारतीय आयातकों को भारतीय रूपये में भुगतान करना होगा, जिसे विदेशी विक्रेता/आपूर्तिकर्ता से माल या सेवाओं की आपूर्ति के लिए बीजक के	विदेशी मुद्रा या भारतीय रूपये में अंकित किया जाएगा। निर्यात प्राप्तियों को या तो किसी भी विदेशी मुद्रा में या भारतीय रूपये में प्राप्त किया जाएगा। (ख)नेपाल और भूटान को छोड़कर एसीयू के सदस्य देशों से जुड़े निर्यात अनुबंधों को एसीयू द्वारा निर्धारित मुद्रा में अंकित किया जाएगा। तथापि, ऐसे लेनदेन को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार अंकित और निपटान भी किया जा सकता है। (ग) नेपाल और भूटान से जुड़े निर्यात अनुबंधों को भारतीय रूपये में या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार अंकित और निपटान किया जाएगा। इसके अलावा, एक्जिम बैंक/भारत सरकार की ऋण व्यवस्था के तहत निर्यात अनुबंध और चालान भी भारतीय रूपये में तय किए जा सकते हैं।
--	---	---

	तहत भागीदार देश के संपर्क बैंक के विशेष वोस्ट्रो खाते में जमा किया जाएगा। (ii.) भारतीय निर्यातकों को भागीदार देश के संपर्क बैंक के नामित विशेष वोस्ट्रो खातों में शेष राशि से भारतीय रुपये में निर्यात आय का भुगतान किया जाएगा।	
2.53 भारतीय रुपये में निर्यात प्राप्तियों के लिए एफटीपी स्कीमों की अनुप्रयोज्यता	i. ईरान को निर्यात के बदले भारतीय रुपये में प्राप्त निर्यात आय को विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात लाभ/प्रोत्साहन/निर्यात दायित्वों की पूर्ति के लिए अनुमति दी गई है, जो कि मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त निर्यात आय, विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.19 के अनुपालन के अधीन है। ii. पैरा 2.52 (घ) (ii) के अनुसार भारतीय रुपये में प्राप्त निर्यात आय को विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यातलाभ/प्रोत्साहन/निर्यात दायित्वों को पूरा करने की अनुमति है।	नेपाल और भुटान को छोड़कर किसी भी देश को किए गए ऐसे निर्यात, जिनकी निर्यात आय भारतीय रुपये में बैंकिंग चैनलों के माध्यम से, भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों के भारतीय रुपये खातों में जमा करके प्राप्त होती है, और जो खाते समय-समय पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन (डिपॉजिट) विनियमों के अनुसार खोले गए हैं, वे विदेश व्यापार नीति के अन्तर्गत निर्यात लाभ/प्रोत्साहन प्राप्त करने और निर्यात दायित्वों की पूर्ति के लिए उसी प्रकार पात्र होंगे, जैसे किसी विदेशी मुद्रा में प्राप्त निर्यात आय वाले निर्यात होते हैं। ईरान को निर्यात के मामले में, उपरोक्त प्रावधान एफटीपी के पैरा 2.19 के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन लागू होंगे।

इस अधिसूचना का प्रभाव: विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा 2.52 और 2.53 में संशोधन किया गया है ताकि भारतीय रुपये में निर्यात प्राप्ति के संबंध में निर्यात अनुबंधों के मूल्य-निर्धारण और एफटीपी लाभों के लिए पात्रता से संबंधित प्रावधानों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियम, 2023 के साथ संरेखित किया जा सके।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/93/180/32/एएम-19/पीसी. II(बी)/ई-17430]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th August, 2026

No. 30/2026-27**Subject: Amendment in Para 2.52 and 2.53 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2023 – Reg.**

S.O. 4601(E).— In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby makes the following amendments relating to **Para 2.52 and 2.53 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2023**, with immediate effect:

Para No.	Existing Para	Revised Para
2.52: Denomination of Export Contracts	(a) All export contracts and invoices must be denominated either in freely convertible currency or Indian rupees, but export proceeds must be realized in freely convertible currency. (b) Export proceeds for specific exports may also be realized in rupees, provided: It is through a freely convertible Vostro account of a non-resident bank located in a country other than an ACU member, Nepal, or Bhutan. Rupee payment via Vostro account must correspond to free foreign currency payment by the buyer in their non-resident bank account. The free foreign exchange remitted by the buyer to their non-resident bank (after deducting bank service charges) will count as export realization under FTP export promotion schemes. (c) Contracts settled through the ACU must be denominated in ACU Dollars, although transactions may be settled in ACU Dollar or ACU Euro per RBI notifications. The Central Government may relax these provisions when appropriate. Export contracts and invoices can be denominated in Indian rupees under an EXIM Bank/Government of India line of credit. (d) Invoicing, payment, and settlement of exports and imports in INR are also permitted, subject to compliance with RBI's A.P. (DIR Series) Circular No. 10, dated July 11, 2022. INR trade transactions must follow these guidelines: (i) Indian importers must pay in INR, credited into the Special Vostro account of the correspondent bank of the partner country, against invoices for goods or services from the overseas seller/supplier. (ii) Indian exporters must receive export proceeds in INR from balances in the designated Special Vostro account of the correspondent bank of the partner country.	(a) All export contracts and invoices, other than those involving member countries of the Asian Clearing Union (ACU), shall be denominated either in foreign currency or Indian Rupees. Export proceeds shall be realized either in any foreign currency or in Indian Rupees. (b) Export contracts involving member countries of the ACU, other than Nepal and Bhutan, shall be denominated in a currency determined by the ACU. However, such transactions may also be denominated and settled in accordance with the directions issued by the Reserve Bank of India from time to time. (c) Export contracts involving Nepal and Bhutan shall be denominated and settled in Indian Rupees, or in accordance with the directions issued by the Reserve Bank of India from time to time. Further, export contracts and invoices under EXIM Bank/Government of India Lines of Credit may also be denominated in Indian Rupees.

2.53: Applicability of FTP Schemes for Export Realisations in Indian Rupees	i. Export proceeds realized in Indian Rupees against exports to Iran are permitted to avail exports benefits / incentives/ fulfilment of Export Obligations under the FTP, at par with export proceeds realized in freely convertible currency, subject to compliance of para 2.19 of the FTP. ii. Export proceeds realized in Indian Rupees as per para 2.52(d)(ii) are permitted to avail exports benefits / incentives / fulfilment of Export Obligations under the FTP.	Exports to any country, other than Nepal and Bhutan, for which export proceeds are realized in Indian Rupees through banking channels by credit to Indian Rupee accounts of persons resident outside India, opened in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, as amended from time to time, shall be eligible for export benefits/incentives and fulfilment of Export Obligations under the FTP, at par with exports realized in any foreign currency. In the case of exports to Iran, the above provisions shall apply subject to compliance with the provisions of para 2.19 of the FTP.
--	--	--

Effect of this Notification: Paras 2.52 and 2.53 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2023 have been amended to align the provisions relating to denomination of export contracts and eligibility for FTP benefits in respect of export realisations in Indian Rupees with the Foreign Exchange Management (Manner of Receipt and Payment) Regulations, 2023.

This is issued with the approval of the Minister of Commerce and Industry.

[F. No. 01/93/180/32/AM-19/PC.II(B)/E-17430]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.